



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक 1939 (श10)

(सं0 पटना 1063) पटना, मंगलवार, 14 नवम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 नवम्बर 2017

अधिसूचना संख्या 44/2017-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 273, दिनांक 14 नवम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परन्तुक के खण्ड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० 5/2017- राज्य कर (दर), तारीख 29 जून, 2017, जो बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, संख्या 548, तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6A और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6 क	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टैक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
6 ख	5801	कॉर्डरॉय फेब्रिक
6 ग	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं .5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना है (क्सबोल्ड)“।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०-विक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-44)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

14 नवम्बर 2017

एस०ओ० 274, एस०ओ० 273 दिनांक 14 नवम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-44)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

**The 14<sup>th</sup> November 2017**

**Notification No.44/2017-State Tax (Rate)**

S.O. 273 dated 14<sup>th</sup> November 2017— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Taxes Department notification No.5/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 548, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the TABLE, for Sl. No. 6A and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

“6A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
6B	5801	Corduroy fabrics
6C	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs)”.

2. This notification shall come into force with effect from the 15<sup>th</sup> day of November, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21/2017-44 )]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary*

*Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण)1063-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>